न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल पी. ओ.
24/5/18	पत्रावली पेश हुई। बकुलाय फरीकेन उप। आइन्दा पत्रावली कैम्प कोर्ट/ लोक अदा0 में दिनांक 15.5.18 को पेश हो। [signature] एस डी ओ/ रीडर
15/5/18	पत्रावली कैम्प कोर्ट में पेश हुई। [illegible] स्वीकृत किया जा चुका है। [illegible] भी स्वीकृत किया जा चुका है। पत्रावली [illegible] होकर [illegible] [illegible] बाद तामील दाखिल दफ्तर हो। [signature]

Scanned by CamScanner

न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय

कोटकासिम जिला अलवर

A cm No 389/83.13

प्रार्थनापत्र संख्या-----8-सन 2010

§1§ राडो फिटस प्रा·लि· प्लाट सं·101 सैक्टर 25 फरीदाबाद

जरिये कैलाशचन्द पुत्र पदमचन्द महाजन फरीदाबाद ।

:-प्रार्थी

बनाम

§1§ सोहनलाल पुत्र बहराम कौम जाट निवासी मेवली तहसील

कोटकासिम जिला अलवर ।

:-अप्रार्थी

दावा हुक्मइम्तनाइ दवामी

श्रीमानजी

प्रार्थनापत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राज·टी·ऐ· आदेश 39 नियम 1,2, धारा 151 जा·दी· निम्न प्रस्तुत है-

§1§ यह है कि उपरोक्त शीर्षक का वाद प्रार्थी ने विस्तृत तथ्यो सहित अदालत श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया है जिसमे सफलता की पूरी पूरी आशा है।

§2§ यह है कि प्रस्तुत वादपत्र शपथपत्र रजिस्टर्ड बयनामा, नकल जमाबंदी से प्रार्थी का केस प्राइमाफेसी आयद वो साबित होता है।

§3§ यह है कि विवादित आराजी मिन प्रार्थी ने जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा सन्तरा पुत्री बहराम कोम जाट निवासी मेवली तहसील कोटकासिम से बाकब्जा बाजाप्ता प्रतिफल अदा कर खरीद की है ओर खरीद के दिन से लगातार शान्तीपूर्वक बतोर खातेदार

Kailash

काबिज आरहा है मौका पर वास्तविक कब्जा है।

{4} यह है कि अप्रार्थी का विवादित आराजी से किसी प्रकार का कोई सरोकार वो सम्बध न तो था ना है अप्रार्थी इस आराजी का गेर काबिज गेरवास्ता है।

{5} यह है कि अप्रार्थी जब्रन वो लठ के बल पर विवादित आराजी से प्रार्थी को बेदखल करना कब्जा करना चाहता है जिसका उसे कोई हक हासिल नही है अप्रार्थी ने दिनांक 10-5-2010 को असफल प्रयास किया व एलानिया तोर पर धमकी दी है यदि अप्रार्थी अपनी इस बेजा कार्यवाही मे सफल होगया तो प्रार्थी को हर सूरत मे नापूर्ती होने वाली क्षति होगी दीगर मुकदमाबाजी मे पडना पडेगा अपनी खरीदशुदा खातेदारी अधिकारो की आराजी से वंचित होना पडेगा। इसलिये प्रार्थी अप्रार्थी को हुक्मइम्तनाइ चन्दरोजा से पाबन्द कराने का अधिकारी है।

{6} यह है कि प्रार्थी विवादित आराजी का खरीददार काबिज खातेदार काश्तकार है मोका पर वास्तविक कब्जा है अप्रार्थी गेरकाबिज गेरवास्ता है सुविधा का संतुलन बहक प्रार्थी है।

{7} यह है कि प्रार्थनापत्र न्यायालय श्रीमान के सुनने योग्य है जिस पर 1 रुपये न्यायशुल्क पेश है।

Kailash

अत: प्रार्थना है कि अप्रार्थी को जरिये हुक्मइम्तनाइ चन्दरोजा पाबन्द किया जावे कि वो विवादित आराजी हाल सं न. 653/1-00 का 1/8 भाग, 419/3-00, 621/1-00, 739/0-06, 1049/1-00 1073/0-17 समस्त का 3/8 भाग वाके ग्राम मेवली तहसील कोटकासिम से प्रार्थी को बेदखल न करे, ना कब्जा करे, ना काश्तकार्य उपभोग उपयोग मे रुकावट पेदा करे।

हल्फनामा पेश है।

11-5-2010

प्रार्थी

राडो सिंटस जर्ये कैलाशचन्द

Kailan

न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय

कोटकासिम

राडो सिस्टम बनाम सोहनलाल

212 राज.टी.ऐ

शपथपत्र

मै कैलाशचन्द पुत्र पदमचन्द कोम महाजन निवासी फरीदाबाद हरियाणा का हू।

(1) मै सशपथ बयान करता हू कि संलग्न आवेदनपत्र मे दरज समस्त तथ्य ज्ञान से कानूनी सलाह से प्रार्थना सही है जिन्हे सही सत्यापित करता हू। संलग्न आवेदनपत्र को शपथपत्र का अंश माना जाकरपढने की कृपा की जावे।

11-5-2010

Kailash

शपथपत्र का पैरा । मेरे ज्ञान से सही है कोई शब्द गलत नही है ईश्वर मेरी मदद करे।

11-5-2010

Kailash

कैलाशचन्द पदमचन्द महाजन फरीदाबाद (हरि.)

11/5/10

Kailash